झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–371 / 2019

ललन दुबे ..... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखण्ड राज्य खाद्य निगम लिमिटेड, अपने प्रबंध निदेशक, रांची और अन्य के माध्यम से

..... विपक्षीगण

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन**

वीडयो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री पंकज कुमार दुबे, अधिवक्ता

विपक्षी पार्टी के लिए : श्री अशोक कुमार सिंह, अधिवक्ता

03 / 10.12..2021 यह सी0एम0पी0, डब्ल्यू0पी0 (एस0) संख्या 5136 / 2018 को बहाल करने के लिए दायर की गई है, जिसे 27.02.2019 के अनुल्लंघनीय आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता के वकील प्रस्तुत करते हैं कि अनजाने में वह समय के भीतर आदेश का पालन नहीं कर सका। वह प्रस्तुत करता है कि सिविल विविध याचिका के पैरा 4 से 6 में कारणों को समझाया गया है। याचिकाकर्ता बिना शर्त माफी मांगता है। वह प्रस्तुत करता है कि जैसे ही रिट आवेदन को बहाल किया जाएगा, वह त्रुटियों को दूर कर देगा।

उसके द्वारा दायर रिट आवेदन को ध्यान में रखते हुए रिट याचिका संख्या 5136/2018 को उसकी मूल फाइल मेकं बहाल कर दिया गया है। याचिकाकर्ता को तीन सप्ताह के भीतर त्रुटियों को दूर करने का निर्देश दिया जाता है।

तदनुसार, इस सिविल विविध याचिका की अनुमति है।

(आनंदा सेन, न्याया0)